संख्या–508/49–3–2017–100(11)/2017

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक :: 28 अप्रैल, 2017,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–18 के अधीन प्राविधानित पॉच माहों हेतु विधान मण्डल द्वारा पारित लेखानुदान की धनराशि निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–04/सह0न्या0बजट/2017–18, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/ दस–2017–231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या 3/2017/बी–1– 348/ दस–2017–231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अंतर्गत प्रथम पॉच माह हेतु मदवार प्राविधानित लेखानुदान की धनराशि रू0 58.03 लाख (रू0 अठ्ठावन लाख तीन हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशो के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव अनुमति न दी जाये।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा संख्या 3/2017/बी–1–348/दस–2017–231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425–सहकारिता के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा संख्या 3/2017/बी–1–348/दस–2017–231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

संख्या–508/49–3–2017–100(11)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
✓5– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1.
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–508/49–3–2017–100(11)/2017, दिनांक : 18 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

लेखा शीर्षक		स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में) 2017–18
04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन		
01–	वेतन	45.86
03–	मंहगाई भत्ता	2.29
04–	यात्रा व्यय	0.13
06–	अन्य भत्ते	2.50
07–	मानदेय	0.02
08–	कार्यालय व्यय	0.50
09–	विद्युत देय	0.08
11–	लेखन सामग्री एंव फार्मो की छपाई	2.21
12–	कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	0.83
13–	टेलीफोन व्यय	0.42
15–	गाडियों का अनुरक्षण एंव पेट्राल आदि की खरीद	0.63
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.04
17–	किराया उपशुल्क एंव करस्वामित्व	1.22
45–	अवकाश यात्रा व्यय	0.10
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.42
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.31
49–	चिकित्सा व्यय	1.66
51–	वर्दी व्यय	0.08
	योग –	**58.03**

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग–3
संख्या–610/49–3–2017–100(11)/2017
लखनऊ :: दिनांक :: 04 मई, 2017.

शुद्धि–पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण, लखनऊ के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु लेखानुदान की धनराशि निर्गत करने विषयक सहकारिता अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–508/49–3–2017–100(11)/2017, दिनांक 28–4–2017 के साथ संलग्न संलग्नक में अंकित मद संख्या–11 लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई तथा कुल योग के अंतर्गत अंकित धनराशि के अंकन में हुई लिपिकीय त्रुटि को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

धनराशि (लाख रूपये में)

	लेखा शीर्षक	**पूर्व अंकित धनराशि**	**संशोधित धनराशि**
04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अर्न्तगत न्यायाधिकरण का गठन			
11–	लेखन सामग्री एंव फार्मो की छपाई	2.21	0.21
	योग –	58.03	58.30

साथ ही मद संख्या–17 के अंतर्गत पूर्व लिपिकीय त्रुटिवश पूर्व अंकित मद "किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व" के स्थान पर "कार्यालय किराया" पढ़ा जाय।

2– कृपया तद्नुसार सदर्भित शासनादेश संख्या 508/49–3–2017–100(11)/2017, दिनांक 28 अप्रैल, 2017 के संलग्नक को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या–610 (1)/49–3–2017–100(11)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1.
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।